न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 68/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुरेशचन्द		रमेशचन्द वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री डी डी रामावत, एडवोकेट।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, एडवोकेट।

–::निर्णय ::– **दिनांकः–** 21/04/25

वकील मय प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 03.03.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी सुरेशचन्द पुत्र मांगीलाल का हाल ही में देहान्त करीब 1 माह पूर्व हो चुका है जिससे वाद के संचालन हेतु वाद के कायम मुकाम को बतौर वादी पक्षकार बनाये जाना आवश्यक है। मृतक वादी सुरेशचन्द के जायज कायम मुकाम उनकी पत्नी हेमलता व पुत्रगण लाभेन्द्र व ललित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के स्थान पर उसके कायम मुकाम लाभेन्द्र, ललित पिसरान सुरेशचन्द तथा हेमलता पत्नी सुरेशचन्द जातियान ब्राहमण निवासीगण झाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर को बतौर वादी पक्षकार संयोजित किया जाकर वादी को संशोधित वाद शीर्षक पेश करने की आज्ञा प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौरान–ए–बहस प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों को दुहराते हुये कथन किया कि वादी की फौत होने पर उसके कायम मुकाम को बतौर वादी पक्षकार संयोजित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दौरान–ए–बहस प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह कथन किया है कि वादी सुरेशचन्द पुत्र मांगीलाल के फौत होने के उपरांत अधिवक्ता वादी द्वारा समय सीमा के भीतर मृतक वादी के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेनें हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी सुरेशचन्द पुत्र मांगीलाल के फौत होनें की सूचना दिनांक 31.12.2019 को न्यायालय हाजा को दे दी थी, जो आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है। इसके बावजूद अधिवक्ता वादी इस बाबत् कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। जो कि वादीगण की लापरवाही एवं घोर उपेक्षा का परिचायक है। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक– विनिर्दिष्टि मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन विहित की गई है। इसी अधिनियम धारा 05 के अन्तर्गत यदि आवेदक/प्रार्थी विलम्ब काल के लिये पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत करते हुये न्यायालय का समाधान कर देता है तो ऐसी कतिपय दशा में विलम्ब काल को माफ करते हुये विहित काल के पश्चात भी आवेदन ग्रहण किये जा सकते है। किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थनापत्र में उक्त वादी/प्रार्थी की मृत्य दिनांक का अंकन नहीं किया गया है वादी अधिवक्ता को अपूर्ण दस्तावेजों को पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अपूर्ण दस्तोवज की कमी को पूरा कर पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। न्यायिक दृष्टान्त गोकुलराम बनाम भाखरराम में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि In this case, application for bringing LRs of plaintiff on record was filed after 90 days by the counsel without vakalatnama. No affidavit was filed in support of the application, still trial court allowed the application. When application is not filed within 90 days after the death of plaintiff, suit abated automatically. हमनें माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय का ससम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक निर्णयन् में मार्गदर्शन प्राप्त किया। अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधिवक्ता वादी द्वारा भलीभांति संज्ञान के बावजूद आज दिनांक तक कायम मुकाम बाबत् मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करनें, मृतक वादी दिनांक के सम्बन्ध में प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा कोई अंकन नहीं करनें तथा वास्तविक विलम्ब काल जिसे माफ करवानें के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद साथ में संलग्न पेश नहीं किया। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी विधिवत नहीं है। प्रार्थना पत्र वकील के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कोई वकालतनामा नहीं है। ना ही वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। वादीगण की ओर से कोई शपथ पत्र भी नहीं है। जबकि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के खण्ड –1 के नियम 20(7) व 30 के प्रावधान अनुसार प्रतिस्थापन के प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकार का शपथ पत्र होगा जिसमें मृतक व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक भी अंकित होगी। जिसमें पूरा विवरण भी नहीं है, शपथ पत्र भी नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अपूर्ण है तथा ऐसा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह दावा स्वतः ही अबैट हो जाता है। अतः दावा अबैट होने के कारण पत्रावली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अन्तिम डिक्री जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

सुरेशचन्द रमेशचन्द वगैराह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या :– 68/2019

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता,, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा अबैट होने के कारण पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा